

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला सामान्य शाखा)

आदेश

मृत/वयोवृद्ध शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी के आश्रित द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा संचिका सं० IV-22/2018 के टिप्पणी पृष्ठ सं० 21 पर दिनांक 11.02.2019 को पारित आदेश के आलोक में उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को उनके नाम के सामने उल्लेखित प्रतिष्ठान में जमा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही आयुध अधिनियम 2016 की धारा 47 (1) के तहत उनके निम्न शास्त्र अनुज्ञप्ति को तत्कालिक प्रभाव से रद्द (Cancel) की जाती है।

क्र०	आवेदक/अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र संख्या	शस्त्र का प्रकार	शस्त्र जमा एवं रद्द करने का कारण	जमा करने वाले प्रतिष्ठान का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	रमेन्द्र कुमार मिश्र पे० स्व० हीरेन्द्र मोहन मिश्र, ग्राम— विशौनी, थाना—परवत्ता	03/73 (परवत्ता थाना)	ए० 843	बंदुक	मृत्योपरान्त	प्रिमियर आर्म्स भागलपुर
2	देवेश कुमार पे० श्री शैलेश कुमार (शस्त्र अनु० श्री जगदीश प्र० यादव) ग्राम— भूरिया थाना— गोगरी	03/67 (गोगरी थाना)	42884	बंदुक	मृत्योपरान्त	सिंह गण हाउस, भागलपुर
3	वैजनाथ हॉसदा ततकालीन कोषागार पदा०, खगड़िया	08/2001 (खगड़िया थाना)	47797	बंदुक	अस्वस्थ रहने के कारण	ब्रिकी करने/ किसी प्रतिष्ठान में जमा करने हेतु

संबंधित को आदेश दिया जाता है कि वे शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्त (मूल में) अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Eol
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।


ज्ञापांक IV-22/2018.....108...../जी०, दिनांक 12/2/2019

प्रतिलिपि : श्री रमेन्द्र कुमार मिश्र पे० स्व० हीरेन्द्र मोहन मिश्र, ग्राम— विशौनी, थाना—परवत्ता, जिला—खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री देवेश कुमार पे० श्री शैलेश कुमार (शस्त्र अनु० श्री जगदीश प्र० यादव) ग्राम— भूरिया थाना— गोगरी, जिला—खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री वैजनाथ हॉसदा ततकालीन कोषागार पदा०, खगड़िया वर्तमान पता वंदरजोड़ी (डान वास्को स्कुल के पीछे) दुमका झारखंड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

- प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, नगर थाना/गोगरी थाना/परवत्ता थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आईटी0प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।


जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।